

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक २५९३/४३२/आउशि/अनु-ब/१८
प्रति,

दिनांक ११/१२/२०१८

१. समस्त प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
२. समस्त प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।


विषय— पांचवें वेतनमान में दिनांक ०१.४.२००० से ३१.३.२००२ तक का शेष २०% एवं ०१.०४.२००२ से ३१.१२.२००५ तक का शेष ५०% अनुदान आवंटन हेतु गणना पत्र उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक २४४/१९०/अनु-ब/१८ दिनांक २६.११.२०१६ तथा ०६.१२.१८

—००—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक ०६.१२.१८ द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ०३ दिवस में विशेष वाहक के हस्ते निर्धारित प्रपत्रों में संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्रमाण पत्र सहित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु वांछित जानकारी मात्र ०७ महाविद्यालयों से ही प्राप्त हुई है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विषयांकित जानकारी ०३ दिवस में विशेष वाहक के हस्ते निर्धारित प्रपत्रों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो। अन्यथा यह माना जावेगा कि शेष महाविद्यालयों में ऐरियर राशि का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।



(डॉ. सुषमा दुबे)


अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

दिनांक ११/१२/२०१८

पृ.क्रमांक २५९३/४३२/आउशि/अनु-ब/१८
प्रतिलिपि :-

१. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर तत्काल पालनार्थ ।



अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश